

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
HOME (GENERAL) DEPARTMENT
5TH LEVEL, 'A' WING DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE,
NEW DELHI**

PRESS NOTE

The Govt. of NCT of Delhi has reorganized the set up of Directorate General Home Guards and Civil Defence, New Delhi, by separating the Civil Defence set up from Directorate of Home Guards with a view to prepare the Civil Defence Organization for the new and expanded role of citizen's' participation during the disaster and internal security situations and to provide new orientation to the Civil Defence. The Directorate of Civil Defence will be headed by a police officer of the rank of Inspector General in the capacity of Controller of Civil Defence & Chief of Rescue Mission for Disaster Management under the overall control of Divisional Commissioner of Delhi, the Nodal Officer for the Delhi Disaster Management Authority.

Simultaneously, the Director General of Home Guards New Delhi, will function as a separate organization and will be headed by the Director General Home Guards, providing assistance to the Delhi Police and other Departments/organization of Govt. to maintain law and order and for performing statutory and non-statutory duties

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
गृह (सामान्य) विभाग
पांचवा तल, ए-विंग, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0इस्टेट, नई दिल्ली.

प्रैस नोट

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय, नई दिल्ली के स्वरूप को पुनर्गठित किया है जिसके अनुसार नागरिक सुरक्षा को गृह रक्षक निदेशालय से अलग कर दिया है ताकि नागरिक सुरक्षा संगठन को आपदा तथा आंतरिक सुरक्षा परिस्थितियों के दौरान नागरिकों को नवीन तथा विस्तृत भूमिका के लिए तैयार किया जा सके और नागरिक सुरक्षा को प्रमुखता प्रदान की जा सके। नागरिक सुरक्षा निदेशालय का प्रमुख, महानिरीक्षक पद का पुलिस अधिकारी होगा, जो नियंत्रक नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन हेतु मुख्य बचाव मिशन प्रमुख के रूप में दिल्ली के मंडल आयुक्त के नियंत्रण में कार्य करेगा, जो कि दिल्ली आपदा प्रबंधन अधिकरण के नोडल अधिकारी हैं।

साथ ही, गृह रक्षक महानिदेशालय, नई दिल्ली, अलग संगठन के रूप में कार्य करेगा जिसका प्रमुख गृह रक्षक महानिदेशक होगा तथा कानून व्यवस्था तथा अन्य सांविधि तथा गैर सांविधि कर्तव्यों के निर्वाह में दिल्ली पुलिस तथा सरकार के अन्य विभागों/संगठनों की सहायता करेगा।